छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा चतुर्दश सत्र अंक-01

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

(अग्रहायण 28, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई ।

2. निधन का उल्लेख

मानननीय अध्यक्ष ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री पुरुषोत्तम लाल कौशिक एवं छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व राज्य मंत्री तथा अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री तुलेश्वर सिंह के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए।

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, डॉ. विमल चोपड़ा-सदस्य एवं श्री रामसेवक पैकरा-गृह मंत्री ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.24 बजे स्थगित होकर
11.31 बजे पुन: प्रारंभ हुई)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि श्री देवेन्द्र वर्मा, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा दिनांक 30 नवम्बर, 2017 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गये हैं। छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की अपनी सेवा अवधि में श्री वर्मा ने अपने संसदीय ज्ञान और अनुभव से विधान सभा के कार्यकरण को उत्कृष्टता प्रदान की ।

माननीय अध्यक्ष ने उनके इस सभा को दिये गये उल्लेखनीय योगदान की सराहना की एवं अपनी और सदन की ओर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की।

माननीय अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े ने दिनांक 1 दिसम्बर, 2017 को छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मुझे विश्वास है कि सभा को श्री गंगराड़े के व्यापक अनुभवों का लाभ मिलेगा और वे अपने दायित्वों और कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर पाने में सफल होंगे।

4. छत्तीसगढ़ विधान सभा स्थापना दिवस की शुभकामना

माननीय अध्यक्ष ने उद्गार व्यक्त किये कि - चतुर्थ विधान सभा के 14वें सत्र का आज प्रथम दिवस है इस अवसर पर मैं आप सभी माननीय सदस्यगणों का अभिनंदन करता हूं। यह उल्लेखनीय है कि 14 दिसंबर हमारी छत्तीसगढ़ विधान सभा का स्थापना दिवस है। आपको विदित है कि छत्तीसगढ़ की प्रथम विधान सभा का प्रथम सत्र 14 दिसम्बर से 19 दिसम्बर 2000 के मध्य राजकुमार कालेज में आहुत हुआ था। इस दृष्टि से विधान सभा स्थापना दिवस का उल्लेख करना आवश्यक मानता हूं। इस अवसर पर मैं सभी सदस्यों को बधाई देता हूं।

5. पृच्छा

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा धान खरीदी के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की।

माननीन अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया एवं कथन किया कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण काल होता है।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने उनके द्वारा दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा कराने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि विशेषाधिकार भंग की सूचना एवं प्रतिपक्ष की स्थगन प्रस्ताव की सूचना विचाराधीन है।

6. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 05 (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 18 तारांकित एवं 59 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

7. पृच्छा

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा की मांग किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि यह स्थगन प्रस्ताव के बाद आयेगा।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग किये जाने पर डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कथन किया कि सरकार चर्चा हेतु सहमत है।

8. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा किसानों को बोनस प्राप्त न होना तथा धान विक्रय में कठिनाई होने संबंधी 33 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की प्राप्त सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि मुख्यमंत्री जी ने चर्चा हेतु सहमति व्यक्त की है। चर्चा हेतु समय निर्धारित किया जावे।

माननीय अध्यक्ष द्वारा 3.00 बजे का समय निर्धारित किया गया।

श्री अमित अजीत जोगी, सदस्य द्वारा पोलावरम में प्रभावितों को मुआवजे के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि एक दिन में एक से अधिक स्थगन नहीं लिया जाता है आपके स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है।

9. विशेषाधिकार भंग की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री को विशेषाधिकार भंग की सूचना पढ़ने के लिए निर्देशित किया तथा कथन किया कि वे इस पर पश्चात् व्यवस्था देंगे।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने विशेषाधिकार भंग की सूचना पढ़ी।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा आपत्ति लिये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि मैंने पूर्व में ही कहा है कि मान. संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विशेषाधिकार भंग की सूचना दी है उसे पढ़कर सुना दें ताकि सदस्यों को, जिनके उपर आरोप लगे हैं उनको पता लग जाये और इसकी व्यवस्था मैं बाद में दूंगा

10. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन का तेरहवां एवं चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016, तथा

(2) श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2016-17 **पटल पर रखे।**

11. राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक की सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि - छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015) माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 को संदेश के साथ लौटाया गया है। संदेश इस प्रकार है:-

छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015) राज्य विधान सभा द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 को पारित कर मेरी अनुमति एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त विधेयक मेरे द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के अधीन माननीय राष्ट्रपति जी के विचार हेतु आरक्षित किया गया। इस संदर्भ में भारत सरकार, गृह मंत्रालय से प्राप्त सुझावों के आधार पर छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015) के खण्ड क्रमांक 2, 3 एवं 6 में संशोधन किया जाना है।

अत: भारत सरकार द्वारा दिये गये सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015) पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त को मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015) पर पुनर्विचार हेतु उसे लौटाया जाता है।

12. राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये विधेयक की सूचना का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 91 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 36 सन् 2015)

विधान सभा द्वारा यथापारित रूप में तथा माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये रूप में सदन के पटल पर रखा गया।

13. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 की निम्नांकित सिफारिशों से सदन को अवगत कराया :-

समिति द्वारा निम्नलिखित वित्तीय, विधायी एवं अन्य कार्य हेतु समय निर्धारित किया गया :-

	वित्तीय कार्य		**समय**
1.	वर्ष 2017-2018 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	-	03 घंटे
	शासकीय विधि विषयक कार्य		
1.	न्यायालय फीस (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2017	-	30 मिनट
2.	छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2017	-	30 मिनट
3.	छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2017	-	30 मिनट
4.	छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017	-	30 मिनट

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

14. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा के अगस्त, 2017 सत्र में पारित 9 विधेयकों में से 6 विधेयकों पर तथा सितम्बर, 2017 सत्र में पारित 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है, का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

15.सभापति तालिका की घोषणा

मानननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री देवजी भाई पटेल
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री संतोष बाफना
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री धनेन्द्र साहू

(अनुपूरक कार्य सूची जारी की गई)

16. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने जिला रायपुर में बैंक डकैती, आरंग स्थित पेट्रोल पम्प एवं जिला जांजगीर-चांपा में राईटर कैश कलेक्शन कम्पनी में लूट संबंधी घटनाओं की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रामसेवक पैकरा, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

17. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 01 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया ।

18. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्य श्री अमित जोगी जी ने उनके द्वारा दिए गए प्रश्न को अग्राह्य किये जाने का उल्लेख करते हुए विधान सभा सचिवालय के प्रति आरोपात्मक कथन किया है । प्रश्न को अग्राह्य किये जाने के संबंध में यदि माननीय सदस्य को कोई आपत्ति है तो मेरे कक्ष में आकर चर्चा कर सकते हैं । इस प्रकार सदन में उल्लेख करना उचित नहीं है । माननीय सदस्य द्वारा विधान सभा सचिवालय के संबंध में प्रयुक्त कथन को मैं विलोपित करता हूं ।

19. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने राजधानी सहित प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

श्री शिवशंकर पैकरा, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 9 का कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

20. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री दलेश्वर साहू
(2) श्री बृहस्पत सिंह
(3) श्री सत्यनारायण शर्मा
(4) श्री लालजीत सिंह राठिया
(5) श्रीमती अनिला भेंडिया

21. वर्ष 2017-2018 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017-2018 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 की तिथि निर्धारित की।

22. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर -

(1) न्यायालय फीस (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017)

(2) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017)

(3) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017)

की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की।

(1) न्यायालय फीस (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017)

श्री महेश गागड़ा, विधि एवं विधायी मंत्री ने न्यायालय फीस (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 20 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2017 (क्रमांक 23 सन् 2017) पुर:स्थापित किया।

(1.47 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

23. वक्तव्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उच्चारण विभेदों से उत्पन्न विसंगति के निराकरण के संबंध में वक्तव्य दिया।

24. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-
श्री बृजमोहन अग्रवाल-कृषि मंत्री,

(सभापति महोदय (श्री संतोष बाफना) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, शिवरतन शर्मा, धनेन्द्र साहू,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

25. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से सूचित किया कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के संबंध में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 58 (1) में यह प्रावधान है कि जिस समय से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हो, उससे 2 घंटे बीत जाने पर यदि वाद-विवाद पहले ही समाप्त न हो चुका हो तो वह स्वत: समाप्त हो जायेगा। चर्चा को दो घंटे पूर्ण हो चुके हैं। अभी भी 11 सदस्यों के नाम शेष है इसलिए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक वे सदन के समय में वृद्धि करते हैं।

26. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

श्री दयालदास बघेल-सहकारिता मंत्री, श्री अमरजीत भगत,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

डॉ. विमल चोपड़ा, श्री मोहन मरकाम,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष ।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सायं 7.16 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 (अग्रहायण-29, शक संवत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा